


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) वाणिज्य के उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या-3 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-04 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम	नाम कार्मिक व पदस्थान स्थान राउमावि (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	अवधि	स्थान व पद जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है (राउमावि)
01	02	03	04
01	महेश कुमार शर्मा, व्या0 वाणिज्य ईटावा भोपजी-(गोविंदगढ़)जयपुर	01.02.2018 से 09.03.2018 (एपीओ अवधि)	ईटावा भोपजी(गोविंदगढ़) जयपुर
02	अजय महर व्या-इतिहास राउमावि कालागुडा करौली	28.06.17 से 30.06.17	बूकना-करौली

उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित प्राध्यापक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।



 संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
 बीकानेर

दिनांक:- 12.03.18

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-2/वेतन-व्यवस्था/31825/17

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ-

1. सम्बन्धित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा-जयपुर/भरतपुर
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक- जयपुर I/II/करौली
3. सम्बन्धित शाला/संस्था/कार्मिक
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन करने बाबत
5. निजी/रक्षित पत्रावली


 संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
 बीकानेर